राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

(पूर्व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड)
राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर – 302018
www.rsmssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं.–0141–2722520

क्रमांक : प.8 (55) R.S.S.B. / प.आ. / कनि.वैज्ञा.सहा. / सी.भ.प. / 2018 / 386 दिनांकः 04.09.2019

विज्ञप्ति

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग, राजस्थान, जयपुर के लिए राज्य विधि विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम–1980 के अन्तर्गत **कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक** के विभिन्न संवर्ग (प्रलेख / रसायन / भौतिक / अस्त्रक्षेप / जैविक / सीरम / विष) के पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 01 / 2019 क्रमांकः 77 दिनांकः 17.01.2019 एवं संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति क्रमांकः प.14 (48) R.S.S.B. / अर्थना / रा.वि.वि.प्र. / कनि. वैज्ञा. सहा. / 2018 / 971 दिनांकः 24.07.2019 द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे।

बोर्ड द्वारा आयोजित **"कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक सीधी भर्ती परीक्षा, 2019"** के पदों पर भर्ती हेतु की जाने वाली सीधी भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	पद का नाम (जिसके लिए परीक्षा का आयोजन किया जावेगा)	परीक्षा तिथि	परीक्षा का समय
1.	2.	3.	4.
1.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (रसायन)	14.09.2019 (शनिवार)	प्रातः 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक
2.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (विष)	14.09.2019 (शनिवार)	अपरान्ह 03:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
3.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (जैविक)	15.09.2019 (रविवार)	प्रातः 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक
4.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सीरम)	15.09.2019 (रविवार)	अपरान्ह 03:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
5.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (भौतिक)	21.09.2019 (शनिवार)	प्रातः 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक
6.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (अस्त्रक्षेप)	21.09.2019 (शनिवार)	अपरान्ह 03:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
7.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (प्रलेख)	22.09.2019 (रविवार)	प्रातः 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक

उक्त पदों के अभ्यर्थी अपना ई–प्रवेश पत्र दिनांक 09.09.2019 को अपरान्ह 02:00 बजे से यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाईट अथवा स्वयं के SSO ID के माध्यम से डाउनलोड़ कर लेवें।

परीक्षार्थी निम्नलिखित मुख्य अनुदेशों का भी गंभीरता से अवलोकन करें :–

1. ई–प्रवेश पत्र प्रोविजनल है, परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के सम्बन्ध में संतुष्ट हो जाना चाहिए।
2. परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी नियत समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जावें, ताकि तलाशी एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र पर निम्न सामग्री लानी हैः– ई–एडमिट कार्ड, 2.5c.m.X2.5c.m.साइज के नवीनतम एक रंगीन फोटो (उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु), नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, पहचान हेतु एक अतिरिक्त फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र (मूल) जैसेः– मतदाता पहचान कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है। फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं गहन तलाशी के उपरान्त ही परीक्षार्थी को केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा।
4. परीक्षा केन्द्र के परिसर में उक्त सामग्री के अलावा अन्य किसी प्रकार का पैन, पर्स, बैग, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घडी, केलकुलेटर, लॉग टेबल, पेजर, संचार के कोई भी उपकरण, किसी भी प्रकार का अस्त्र–शस्त्र, व्हाइटनर, स्लाईड रूल, ज्यामैट्री बॉक्स और कोई भी पाठ्य सामग्री, नोट इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। केन्द्र पर इन्हें सुरक्षित रखने का दायित्व बोर्ड / केन्द्राधीक्षक का नहीं होगा। **केन्द्र पर उपरोक्त सामग्री के सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने से परीक्षार्थी उपरोक्त**

5. बोर्ड के निर्देशों का उल्लघंन करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने और भविष्य में बोर्ड की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोकने की दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे, अन्य सीट पर बैठने पर आपकी अनुपस्थिति दर्ज की जा सकती है एवं आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।
7. किसी परीक्षार्थी को ई–एडमिट कार्ड साथ नहीं लाने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
8. परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व और परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी की तलाशी ली जा सकेगी।
9. परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे/बहकावे में नहीं आवें। किसी भी प्रकार से नकल करने का प्रयास न करें। नकल करने के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका कैरियर समाप्त हो सकता है।
10. रेल/बस की छत या पायदान पर बैठकर/खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें। अन्यथा आपके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।
11. **परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा दिनांक को परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से 1½ घण्टे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें** ताकि तलाशी के उपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
12. परीक्षा केन्द्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी के उपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें।
13. परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवें।
14. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए निम्नानुसार ड्रेस कोड लागू की गयी है जिसकी पालना अनिवार्य है। :–
    (i) पुरूष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट/टी–शर्ट, पैन्ट एवं हवाई चप्पल/स्लीपर पहन कर आयेंगे।
    (ii) महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज, हवाई चप्पल/स्लीपर पहन कर एवं बालों में साधारण रबड़ बैण्ड लगा कर आवेंगी।
    (iii) परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
    (iv) परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूडियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूडियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रेसलेट आदि पहनकर नहीं आ सकेंगे।
    (v) परीक्षार्थी परीक्षा में किसी भी प्रकार की घ़ड़ी, जूते/सैण्डल, मौजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर शामिल नहीं हो सकेंगे।
    (vi) यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड़ में शामिल होने के संबंध में कोई संदेह/विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
    ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
15. परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केन्द्र के जिले से सम्बन्धित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियन्त्रण कक्ष, जिनके दूरभाष नम्बर बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे, से सम्पर्क किया जा सकता है।
16 परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार–पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।
17. नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करें।

(डॉ. बी.एल. जाटावत)
अध्यक्ष